

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समर्त पञ्चवक्ता कुलसचिव जीवाजी
विश्वविद्यालय के बाज से ही किंवा जारे ज
के किंतु अन्य पदाधिकारी के बाज से।
सम्बोधित विषय पर जहि घूर्जे में पञ्च
व्यक्तात दुड़ा हो तो पञ्च व्यक्तक एवं दिवांक
अवश्य लिखा जाये किससे उपरिका हो।



आम : यूनिवरिटी
दृष्टान्त : (0751) 2341896
(0751) 2442829
फैक्ट्र सॉफ्ट : (0751) 2341768

प्रेषक :
कुलसचिव,
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर
क्रमांक:एफ/सम्बद्धता/2009/ 4608

दिनांक: 27/02/12

// सूचना //

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर से सम्बद्ध महार्षि वेद व्यास शिक्षा महाविद्यालय जंगीपुर, ग्वालियर (09827243013) को सब्र 2010-11 एवं सब्र 2011-12 के लिये प्रस्तावित/संचालित बी.एड. पाठ्यक्रम कक्षा/पाठ्यक्रमों/विषयों की अस्यामी सम्बद्धता हेतु अनुशंसाएँ प्रदान करने के लिये माननीय कुलपति महोदय/स्थायी समिति, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर ने विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के परिनियम 27(10) के अन्तर्गत विभागवासार निरीक्षण समिति का गठन किया है :-

- (1) प्रो. जे.एन. गौतम, आचार्य, पुस्त. एवं सूचना विज्ञान अध्ययनशाला, जी.वि.वि., ग्वालियर। (संयोजक)
(0751-2442565)
- (2) प्रो. अशोक शर्मा, आचार्य, समाजकार्य एवं आजीवन शिक्षा अध्ययनशाला, जी.वि.वि., ग्वालियर।
- (3) प्रो. डी.एन. गोप्यानी, आचार्य, कम्प्यूटर साइंस अध्ययनशाला, जी.वि.वि., ग्वालियर।

निरीक्षण समिति के सदस्यों से अनुरोध है कि वे परिनियम 27/28 के प्रावधानों के अनुरूप महाविद्यालय का प्रत्यक्ष निरीक्षण कर शुरू, धरोहर राशि, वांछित शैक्षणिक/अशैक्षणिक स्टॉफ, प्राधिकृत संस्था से प्राप्त अनुमति/अनुपत्ति प्रमाण-पत्र, भवन, क्रीड़ा परिसर एवं पाठ्यक्रम/आईडीएल्स तथा यिज्ञे सब्र में दी गई शर्तों की पूर्ति मय प्रमाण पत्र के तथा प्राचार्य/शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक स्टॉफ की नियुक्तियों का प्रमाण एवं वैतन आदि के बारे में स्पष्ट विवरण/अनुशंसाएँ अंकित करें। महाविद्यालय प्राचार्य/अध्यक्ष सूचना पत्र प्राप्त होने के 30 दिवस के अवधि निरीक्षण समिति संयोजक एवं सदस्यों से सम्पर्क स्थापित कर निरीक्षण करायें। समिति संयोजक से निवेदन है कि वे उक्त विधायित समय में निरीक्षण करें एवं प्रतिवेदन 07 दिवस में विश्वविद्यालय कार्यालय में जगा करें। निरीक्षण प्रतिवेदन जगा करने का उत्तरदायित्व निरीक्षण समिति / संयोजक का होगा।

समिति जग्न का पत्र प्राप्त होने के बाद निरीक्षण में की गई देई के लिए महाविद्यालय तथ्यं उत्तरदायी होगा। जिसकी सूचना आयुक्त, उच्च शिक्षा, भोपाल को भेज दी जावेगी। यदि महाविद्यालय 03 माह में निरीक्षण जही करता है तो समिति इतः निरस्त हो जायेगी और पुक निरीक्षण समिति जग्न हेतु महाविद्यालय को दण्ड स्वरूप रु. 25,000/- जगा करने होंगे। तत्पश्चात् ही निरीक्षण समिति का पुर्वभूत किया जायेगा। परिनियम 27(11)(7) के अनुसार सम्बद्धता प्राप्त किए विलासी को प्रवेश देवा अवैधानिक है।

निरीक्षण समिति के साथ सम्बद्धता शासा में कार्यस्वरूप/कार्यालय सहायक प्रशासनी लेकर जावेगे तथा महाविद्यालय की सर्वतुष्णिति से निरीक्षण समिति को अर्गत करायेंगे। निरीक्षण समिति के सदस्यों को डी.ए. / डी.ए. / मानवाधि नियंत्रणालय द्वारा देय होगा।

कुलसचिव

प्रतीलिपि :-

1. समर्त सदस्यों की ओर सूचनार्थी एवं अवश्यक कारबाही हेतु।
2. प्राचार्य/अध्यक्ष, संबंधित महाविद्यालय की ओर भेजकर आग्रह है कि समिति के संयोजक से संपर्क स्थापित कर निरीक्षण दिनांक नियायित कर महाविद्यालय का निरीक्षण करायें। उक्त निरीक्षण 15 दिवस के अवधि कराये दी जाएंगा।
3. आयुक्त उच्च शिक्षा, सतपुड़ा भवन, भोपाल
4. कुलाधिकारी, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर
5. कुलपति के सचिव / कुलसचिव के निजी सहायक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

सहायक कुलसचिव (सम्बद्धता)

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समर्त पत्र अवधार कुलसचिव जीवाजी
विश्वविद्यालय के लाभ से ही किया जाए ज
कि किसी अन्व परामिती के लाभ से।
लक्ष्यविद्या विषय पर लाई पूर्ण में पर
अवधार हुआ हो तो पर क्रमांक एवं दिनांक
अवधार लिखा जाए जिससे संविधा हो।



ग्राम : गृहीतरेटी
दूरभाष : (0751) 2341896
(0751) 2442829
फैक्स : (0751) 2341768

प्रेषक :
कुलसचिव,
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर
क्रमांक:एफ/सम्बद्धता/2012/ 5365

दिनांक: 15/01/2012

// सूचना //

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर से सम्बद्ध महार्षि वेद व्यास शिक्षा महाविद्यालय, जंगीपुर, ग्वालियर (09827243013) को सत्र 2010-11 एवं सत्र 2011-12 के लिये प्रस्तावित संचालित बी.ए., पाठ्यक्रम कक्षा-पाठ्यक्रमों/विषयों की अस्थानी सम्बद्धता हेतु अनुशंसाएं प्राप्त करने के लिये मानवीय कुलपति मठोदय/स्थानी समिति, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर ने विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के परिवियम 27(10) के अन्वर्गत निम्नानुसार निरीक्षण समिति का गठन किया है :-

- (1) प्रो. बाय.के. जैसवाल, आचार्य, जैव रसायन अध्ययनशाला, जी.वि.वि. ग्वालियर। (संयोजक)
(0751-2442841)
- (2) प्रो. डी.एन. गोस्वामी, आचार्य, कम्प्यूटर साइंस अध्ययनशाला, जी.वि.वि. ग्वालियर।
- (3) प्रो. विकेंद्र बापट, आचार्य, समाजकार्य एवं आजीवन शिक्षा अध्ययनशाला, जी.वि.वि., ग्वालियर।

निरीक्षण समिति के सदस्यों से अनुरोध है कि वे परिवियम 27/28 के प्रावधानों के अनुरूप महाविद्यालय का प्रत्यक्ष निरीक्षण कर थुक्क, धरेहर राशि, चाँचित शैक्षणिक/अशैक्षणिक स्टॉफ, प्राधिकृत संस्था से प्राप्त अनुमति/अनापति प्रापाण-पत्र, भवन, क्रीड़ा परिसर एवं पाठ्यक्रम/आडिजेन्स तथा पिछले सत्र में दी गई शर्तों की पूर्ति मय प्रमाण पत्र के तथा प्राचार्य/शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक स्टॉफ की विवृतियों का प्रमाण एवं वेतन आदि के बारे में स्पष्ट विवरण/अनुशंसाएं अंकित करें। महाविद्यालय प्राचार्य/अध्यक्ष सूचना पत्र प्राप्त होने के 30 दिवस के अन्वर्गत निरीक्षण समिति संयोजक एवं सदस्यों से संपर्क स्थापित कर निरीक्षण करायें। समिति संयोजक से विवेदन है कि वे उक्त विधिविरुद्ध समय में निरीक्षण करें एवं प्रतिवेदन 07 दिवस में विश्वविद्यालय कार्यालय में जमा करें। निरीक्षण प्रतिवेदन जमा करने का उत्तरदायित निरीक्षण समिति / संयोजक का होगा।

"निरीक्षण गत्वा का पत्र प्राप्त होने के बाद निरीक्षण में की गई देरी के लिए महाविद्यालय स्वयं उत्तरदायी होगा। निरीक्षण समिति निरीक्षण में की गई देरी के लिए निरीक्षण नहीं करता है तो निरीक्षण स्वयं विरस्त हो जायेगी और पुक्क निरीक्षण समिति गत्वा हेतु महाविद्यालय को दण्ड खलप रु. 25,000/- जमा करने होंगे। तत्परताएं ही निरीक्षण समिति का पुर्वगतिक दिया जायेगा। परिवियम 27(1)(7) के अनुसार सम्बद्धता प्राप्त किए जिन छोड़ों को प्रवेश देना अवैधानिक है।"

"निरीक्षण समिति के साथ सम्बद्धता साक्षा में कार्यवात अधीक्षक / कार्यालय सहायक पक्षावाली लेकर जायेंगे तथा महाविद्यालय की वस्तुत्विति से निरीक्षण समिति को अवगत करायेंगे। निरीक्षण समिति के सदस्यों को ई.ए. / डी.ए. / मानदेव महाविद्यालय द्वारा देय होगा।"

कुलसचिव

प्रतिलिपि :-

1. समर्त सदस्यों की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. प्राचार्य/अध्यक्ष, संबंधित महाविद्यालय की ओर भेजकर आग्रह है कि समिति के संयोजक से संपर्क स्थापित कर निरीक्षण दिनांक विधिविरुद्ध कर महाविद्यालय का निरीक्षण करायें। उक्त निरीक्षण 15 दिवस के अन्वर्गत कराने की व्यवस्था करें।
3. आयुक्त उच्च शिक्षा, सतपुदा भवन, भोपाल
4. कुलसचिव, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर
5. कुलपति के सचिव / कुलसचिव के निजी सहायक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

सहायक कुलसचिव (सम्बद्धता)